<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>02.09.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद ने डाक विभाग के कर्मचारी केसरी सतीश और सह-आरोपी दुव्वा वीरेश कुमार के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत नामपल्ली के माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) के समक्ष अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर की है। माननीय न्यायालय ने 31.08.2024 को पीसी का संज्ञान लिया है।

ईडी ने केसरी सतीश के खिलाफ 1.72 करोड़ रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग के लिए सीबीआई, एसीबी हैदराबाद द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर अधीक्षक द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी। डाकघरों, वारंगल डिवीजन, तेलंगाना के उप-डाकपाल के रूप में कार्यरत केसरी सतीश पर आरोप है कि उन्होंने 19.04.2021 से 17.05.2022 की अवधि के दौरान एसपीओ-कोडाकंदला, तेलंगाना में उप-डाकपाल के रूप में कार्यरत रहते हुए रविवार और छुट्टियों के दिनों में सिस्टम में गलत प्रविष्टियां करके 1.72 करोड़ रुपये की सरकारी धनराशि का गबन किया। उन्होंने फर्जी तरीके से डाकघर के एसएपी सॉफ्टवेयर में पिछली तारीख की प्रविष्टियां करके धन का गबन किया। ईडी की जांच से पता चला है कि उनके द्वारा उत्पन्न अपराध की आय (पीओसी) या तो उनके डाकघर बचत खाते में जमा की गई थी या उनके द्वारा अपने परिचित व्यक्तियों को नकद सौंप दी गई थी और बदले में उन्हें बैंक हस्तांतरण के माध्यम से उनसे धन प्राप्त हुआ था। इस प्रकार प्राप्त अपराध की आय का उपयोग उन्होंने ऑनलाइन कैसीनो गेम खेलने, विभिन्न व्यक्तियों को ऋण देने, ऋणों की अदायगी और विभिन्न अन्य व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए किया था।

इस प्रकार ईडी की जांच से पता चला है कि केसरी सतीश ने पीओसी को उड़ा दिया था। हालांकि, जांच के दौरान 3.26 लाख रुपये की बुक वैल्यू वाली एक जमीन की पहचान की गई और यह पता चला कि इसे कुर्क होने से बचाने के लिए केसरी सतीश ने बिना किसी बिक्री प्रतिफल के इसे अपने रिश्तेदार दुव्वा वीरेश कुमार को हस्तांतरित कर दिया था। उक्त जमीन को पहले पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया गया था और माननीय न्यायनिर्णयन प्राधिकारी (पीएमएलए), नई दिल्ली द्वारा उक्त कुर्की की पुष्टि की गई है।

****